न्यायालय कलेक्टर कटनी

न्यायालय कलेक्टर कटनी

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

विषय:- भूमि हस्तांतरण

प्रकरण क्रमांक/47/अ-19/17-18

1	2	3
12-04.18	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद से प्राप्त। अवलोकन किया। प्रकरण पंजीबद्ध हो। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा पत्र दिनांक-22.01.2018 के द्वारा विकासखण्ड निवास, मण्डला के अंतर्गत निर्माणाधीन गौर लघु जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि हेतु वैकल्पिक राजस्व वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु सहपत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार बहोरीबंद/अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद ने प्रतिवेदित किया कि प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया। अंदर म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत पटीकलॉ से प्रस्ताव आहुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिनांक-22.02.2018 से खसरा नंबर 5 रकबा 19.00 हे0 ख0नं0 20 रकबा 86.67 हे0 में से 21.44 हे0 वन विभाग को दिये जाने हेतु सहमति दी गई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन आहुत किया गया। हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि ग्राम सलैया कलॉ प0ह0नं0 12 राजस्व भूमि ख0नं0 5 रकबा 19.00 हे0 मद छोटे झाड़ जंगल मद शासकीय एवं ख0नं0 20 रकबा 86.67 हे0 मद बड़े झाड़ का जंगल मद में से 21.44 हे0 कुल ख0नं0 2 कुल रकबा 40.44 हे0 भूमि विकासखण्ड निवास जिला मण्डला के अंतर्गत निर्माणाधीन गौर लघु जलाशय योजना में प्रभावित 20.22 हे0 वन भूमि के बदले वन हेतु उपयुक्त है। मौके पर बड़े-बडे तेंदू, धवा, गुंजा एवं सेजा, बांस के कुछ वृक्ष लगे हैं। माके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त भूमि वन विभाग को दिये जाने में ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ग्राम का कुल रकबा 1023.73 हे0 है। ग्राम में चरनोई का कुल रकबा 93.29 हे0 है जो ग्राम के कुल रकबे का 9.11 प्रतिशत है। भूमि आवंटन के पश्चात ग्राम में चरनोई भूमि का रकबा 5.16 प्रतिशत शेष रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की है। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रतिवदेनों तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला द्वारा पत्र दिनांक-22.01.2018 के द्वारा विकासखण्ड निवास, मण्डला के अंतर्गत निर्माणाधीन गौर लघु जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि हेतु वैकल्पिक राजस्व वन भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों ने कि ग्राम सलैया कलॉ प0ह0नं0 12 राजस्व भूमि ख0नं0 5 रकबा 19.00 हे0 मद छोटे झाड़ जंगल मद शासकीय एवं ख0नं0 20 रकबा 86.67 हे0 मद बडे झाड़ का जंगल मद में से 21.44 हे0 कुल ख0नं0 2 कुल रकबा 40.44 हे0 भूमि के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया।	

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

विषय:-भूमि आवंटन

1

प्रकरण क्रमांक47-/अ-19/17-18

2

उक्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकाशित इश्तहार में कोई आपत्ति नहीं आई। ग्राम पंचायत पटीकलॉ ने प्रस्ताव पारित कर भूमि हस्तांतरण के संबंध में अपनी सहमति दी है। प्रस्तावित भूमि शासकीय वन मद में दर्ज होने के कारण ग्राम में चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की है।

अत: अधीनस्थ न्यायालयों के जॉच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए ग्राम सलैया कलॉ प0ह0नं0 12 ख0नं0 5 रकबा 19.00 हे0 मद छोटे झाड जंगल मद शासकीय एवं ख0नं0 20 रकबा 86.67 हे0 मद बडे झाड का जंगल मद में से 21.44 हे0 कुल ख0नं0 2 कुल रकबा 40.44 हे0 भूमि को गौर लघु जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन वन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार बहोरीबंद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि प्रकरण में आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कर खसरा, नक्शा की सत्यापित प्रति 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति वन मण्डलाधिकारी कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डला को भेजी जाये। अभिलेख दुरूस्ती उपरांत नस्ती दाखिल रिकार्ड हो।

12/04/18

कलेक्टर

कलेक्टर

कटनी (म.प्र.)